न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 40/2012–13

श्री शहीद

बनाम

श्रीमती सोनिया आदि

श्री अरूण सक्सेना, एडवोकेट – अधिवक्ता निगरानीकर्ता।

श्री एस0पी0 त्यागी, एडवोकेट – अधिवक्ता प्रतिपक्षी।

निर्णय

उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–30/2011–12 श्रीमती सोनिया आदि बनाम सरकार में पारित निर्णयादेश दिनांक 25–09–2012 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 04–04–2012 को विवादित भूमि को बाल्मीकि समाज हेतु शमशान अंकित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव पर प्रश्नगत ग्राम में निवासीगण द्वारा संयुक्त रूप से आपत्ति प्रस्तुत की गई कि खसरा नम्बर 1105 पूर्व से ही शमशान घाट हेतु सुरक्षित है तथा वर्तमान में बाल्मीकि समाज हेतु शमशान के रूप में सुरक्षित किए जाने हेतु प्रस्तावित भूमि के समीप आबादी लगी हुई है, इसलिए प्रस्ताव निरस्त किया जाये। उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूडकी द्वारा इस सम्बन्ध में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व), रूडकी से भी विधिक राय प्राप्त की गई जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित भूमि पर वर्ग विशेष के लिए शमशान के रूप में सुरक्षित न कर सर्वसमाज के लिए सुरक्षित किए जाने की आख्या प्रेषित की गई। प्रस्तुत आपत्ति एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की राय के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूडकी द्वारा आदेश दिनांक 23–06–2012 से भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव दिनांक 04–04–2012 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षी श्रीमती सोनिया एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 25–09–2012 उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूडकी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर सहायक कलेक्टर द्वारा दिनांक 25–09–2012 को **"स्वीकृत"** का आदेश अंकित किया गया। प्रार्थना पत्र पर पारित इस आदेश के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि दिनांक 23–06–2012 को भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव को उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया। सहायक कलेक्टर द्वारा तहसीलदार से आख्या मांगी गई थी जिसमें प्रश्नगत भूमि पर आबादी बने होने का उल्लेख किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी विधिक राय में भी वर्ग विशेष के उपयोग के लिए सुरक्षित न किए जाने का उल्लेख किया गया। समस्त जांच हो जाने एवं विधिक राय आने बाद उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 23–06–2012 को आदेश पारित कर भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव दिनांक 04–04–2012 निरस्त किया गया था। प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 ने आदेश 25–09–2012 को सहायक कलेक्टर के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया गया था। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर 25–09–2012 को बगैर विस्तृत विवेचना के एवं बिना धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र निस्तारित किए मात्र एक शब्द "Allow " लिखते हुए स्वीकार कर लिया। विवादित भूमि से आबादी लगी हुई है और भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्तावित खसरा नम्बर को वर्ग विशेष के लिए सुरक्षित नहीं किया जा सकता। पूर्व में जो प्रस्ताव निरस्त किया जा चुका है और उस पर गुणदोष पर आदेश पारित किया जा चुका है तो पुनः उसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में निगरानीकर्ता को भी नोटिस एवं सूचना दिया जाना चाहिए था। निगरानीकर्ता को आपत्ति एवं सुनवाई का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी द्वारा तर्क दिया गया कि सहायक कलेक्टर द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 23–06–2012 पारित कर भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षी

क्रमशः–2

एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो आदेश दिनांक 25–09–2012 से स्वीकार किया गया। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–2012 में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी पोषणीय नहीं है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 04–04–2012 को बाल्मीकी समाज के लिए शमशान हेतु अंकित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 21–05–2012 में उल्लेख किया गया कि जिस समय भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा शमशान हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय आबादी नहीं बनी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व), रूडकी द्वारा भी अपनी राय दिनांक 23–06–2012 में वर्ग विशेष के स्थान पर सर्वसमाज के व्यक्तियों के उपयोग हेतु सुरक्षित किए जाने का उल्लेख किया गया। तहसीलदार एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की रिपोर्ट के आधार पर ही उप जिलाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त गुणदोष पर आदेश दिनांक 23–06–2012 पारित करते हुए भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव दिनांक 04–04–2012 निरस्त किया गया। श्रीमती सोनिया आदि की ओर से प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 25–09–2012 का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के अन्तिम पैरा में भी भूमि को सर्व समाज के लिए दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली के पेपर नम्बर–15 पर प्रधान/उप प्रधान, ग्राम नन्हेडा अनन्तपुर एवं सदस्यगण द्वारा सहायक कलेक्टर को सम्बोधित अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत ग्राम में सर्वसमाज के लिए शमशान पूर्व से ही है और दूसरा कोई शमशान घाट न बनाये जाने का अनुरोध किया गया है। समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि सहायक कलेक्टर द्वारा पूर्व पारित आदेश 23–06–2012 गुणदोष एवं भली–भाँति परीक्षण के पश्चात पारित किया गया है। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पारित स्वीकृत सम्बन्धी आदेश त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार कर सहायक कलेक्टर/उप जिलाधिकारी, रूड़की द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–2012 निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है तथा उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 25–09–2012 निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली वापस हो तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।,
राजस्व परिषद।

आज दिनांक 10.5.12 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।,
राजस्व परिषद।